अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
निदेशक कार्यालय

फा.सं. 40-30/2024-स्था.I 02.12.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: रोगियों एवं उनके परिचरों हेतु केंद्रीय सामान लॉकर सुविधा का प्रावधान करने संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दौरों के दौरान, यह नोट किया गया है कि रोगी क्षेत्रों में और कभी-कभी ओपीडी में भी, रोगी एवं उनके परिचर भारी सामान, कंबल आदि साथ लेकर चलते हैं। इससे न केवल उक्त क्षेत्रों में भीड़भाड़ हो रही है, बल्कि संक्रमण, कीट, खटमल आदि के फैलने में भी बढ़ोतरी हो रही है। रोगियों एवं परिचरों के साथ अधोहस्ताक्षरी की बातचीत में, उन्होंने व्यक्त किया है कि चूंकि वे दूरदराज के क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए उनके पास अपना सामान और अन्य चीज़ें रखने के लिए कोई अन्य स्थान उपलब्ध नहीं है। साथ ही, रोगियों को कभी-कभी पता नहीं होता है कि एम्स सभी प्रकार के बिस्तर, लिनन आदि प्रदान करता है तथा रोगियों को अपने लिनन के उपयोग हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि रोगियों और उनके परिचरों को एक केंद्रीकृत सामान लॉकर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। उक्त सुविधा के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने तथा रोगियों को सबसे कम दरें प्रदान करने के लिए, इसे एक सेवा के रूप में आउटसोर्स करना बेहतर है। चूंकि एम्स नई दिल्ली एक सुरक्षा संवेदनशील स्थान है, इसलिए यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आउटसोर्स किए गए वेंडर को एम्स में लॉकर में संग्रहीत करने से पहले सभी सामानों को एक्स-रे स्कैन करना अनिवार्य हो।

शुरुआत में, सीएसएसडी के बाहर उपलब्ध पक्की जगह में मस्जिद मोठ क्षेत्र के पहले बेसमेंट में इस सुविधा को आरंभ करना प्रस्तावित किया जाता है। मस्जिद मोठ प्रबंधन समिति इस केंद्रीकृत लॉकर सुविधा के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु दिशा-निर्देश बनाने के लिए जिम्मेदार होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यह सुविधा 31 जनवरी 2025 तक आरंभ हो जाए। इस शुरुआत से प्राप्त होने वाले फीडबैक के आधार पर अन्य केन्द्रों/ब्लॉकों/अस्पताल को उनकी सुविधाओं के निकट इसी प्रकार की सुविधा को आरंभ करने का परामर्श दिया जाएगा।

कार्रवाई: अध्यक्ष, मस्जिद मोठ प्रबंधन समिति

प्रो. एम. श्रीनिवास
निदेशक

वितरण: (इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों/स्टाफ में भी परिचालित करने के अनुरोध सहित)

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्रों के प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई, झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्ष
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F. No. 40-30/2024-Estt.I 02.12.2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Provisioning of central luggage locker facility for patients & their attendants

During the rounds of the undersigned, it has been noted that in the in-patient areas and sometimes even in OPD, patients and their attendants are carrying along heavy luggage, blankets, etc. This is not only causing congestion in the said areas, but is also leading to increased spread of infection, pests, bed bugs, etc. In the interaction of the undersigned with patients and their attendants, they have expressed that as they come from far off areas, they do not have any other space available to store their luggage & other belongings. Also, patients are sometimes not aware that AIIMS provides all bed linen, etc. and the use of patient's own linen is not encouraged.

Accordingly, it has been decided that a centralized luggage locker facility should be provided for patients & their attendants. To ensure seamless operation of the said facility & to achieve the most competitive rates for the patients, it is preferable to outsource the same as a service. As AIIMS New Delhi is a security sensitive installation, it must be ensured that the outsourced vendor is mandated to x-ray scan all luggage before it is stored in the lockers at AIIMS.

As a pilot, it is proposed to operationalize this facility in the first basement of the Masjid Moth area, in the paved space available outside the CSSD. The Masjid Moth Management Committee shall be responsible for developing the guidelines for the operation and maintenance of this centralized locker facility and shall ensure that this facility is started therein by 31st January 2025. Basis the feedback received from this pilot, other Centers / Blocks / Hospital shall be advised to operationalize similar facilities closer to their respective facilities.

Action: Chairman, Masjid Moth Management Committee

2/12/2024

Prof. M Srinivas
Director

Distribution: (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Prof. I/c Computer Facility